संख्या- 23 /2018/1332/अडतीस-7-2018-38नरेगा/2018टीसी

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,	**अमित मोहन प्रसाद,**
प्रमुख सचिव,	**अपर मुख्य सचिव,**
ग्राम्य विकास विभाग,	**कृषि विभाग,**
उ0प्र0, शासन।	**उ0प्र0, शासन।**

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ 19 जुलाई, 2018**

विषय- मनरेगा एवं भूमि संरक्षण इकाई (कृषि विभाग) को आवंटित बजट की धनराशि को युगपित कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 03.01.2014 में मनरेगा अधिनियम-2005 की अनुसूची1 के बिन्दु । प्रवर्ग- अ, को अनुमन्य कार्यश्रेणी में रखा गया है।

2- मनरेगा योजना अधिनियम आधारित है। कार्य की मांग के आधार पर निर्मित, ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर से अनुमोदित व ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत श्रम-बजट के सापेक्ष उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जाने का प्राविधान है। मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप होने की स्थिति तक, आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मनरेगा की धनराशि को भूमि संरक्षण इकाई(कृषि विभाग) को आवंटित बजट की धनराशि को युगपित कराकर अवरूद्ध नाले/छोटी नदियों/पोखरों का जीर्णोद्धार भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 के अनुसार कृषि विभाग के भूमि संरक्षण इकाईयों से कराने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय, **भवदीय,**

अमित मोहन प्रसाद **अनुराग श्रीवास्तव**
अपर मुख्य सचिव। **प्रमुख सचिव।**

संख्या- 23 /2018/ 1332(1)/अड्तीस-7-2018 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
8. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत :स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।